

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पोत परिवहन मंत्रालय/MINISTRY OF SHIPPING नौवहन महानिदेशालय/DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING "बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल/"BETA BUILDING", 9th FLOOR आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS कांजुर गाँव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST)

E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022-25752040/1/2/3

Fax: 022-25752029/35

फाईल संख्या-पी.बी.30(13)/2016-विविध

टेलीफोन: 022-25752040/1/2/3

फैक्स: 022-25752029/35

ई-मेल: dgship-dgs@nic.in

वेब: www.dgshipping.gov.in

दिनांक: 01-02-2018

कार्यालय आदेश संखया- 10/2018

मंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

श्री डी.डी. मानकीकर, कन्सलटेंट, हेल्प डेस्क ई-गर्वनस द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर नौवहन महानिदेशालय ने श्री बी.वी. चिटिमिल्ला कार्य पर लगाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है कार्यकारी अधिकारी के रूप में नौवहन महानिदेशालय में इने कार्य करने का अनुभव है तथा यह कमप्यूटर पर कार्य और टंकन करना भी जानते हैं। नई ई-गर्वनस परियोजना के लिए हेल्प डेस्क सेल में संविधा आधार पर दिनांक 02-01-2018 से 05-06-2018 तक निम्नोक्त शर्त और निबंधोनों के अनुसार कार्य पर लगाया जाता है।

कन्सलटेंट द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे।

- 1) नौवहन महानिदेशालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा दी गई सेवा के प्रति प्रयोक्ता के संतोष पर विकसित की गई नई फीडबैक प्रणाली पर नजर रखना और उसका विश्लेषण करना कन्सलटेंट द्वारा हर तिमाही के अगले महिने के पहले सप्ताह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कि जाएगी ओन-लाईन सह वृत्ती फिडबैक विश्लेषण किया जाएगा और उनके द्वारा बेस लाईन सर्वेक्षक डाटा के साथ इसे मिलाए जाएगा तथा इस मंत्रालय द्वारा भेजे जाने हेतु उप नौवहन महानिदेशक ई-गर्वनस के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- 2) हेल्प डेस्क, ट्विटर लोकशिकायत पींटल ई-सिमक्षा और ई-संवाद पर आई शिकायतों फिडबैक पर नजर रखना और इनका विश्लेषण कर निपटान करना ।
- 3) नौवहन महानिदेशालय की सरकारी वेबसाईट पर नौवहन महानिदेशालय के विभिन्न आदेशों/वापोप सूचना/ परिपत्रों का समेकन, पुनः समूहित करना/ पुनः व्यवस्थित करना ।
- 4) इलेक्ट्रोनिक न्यूजलेटर को प्रकाशित करने की तयारी करना और समुद्री जगत के सभी हित धारियों को इसे भेजा जाना।
- 5) सलाहकार द्वारा उक्त कार्य समय सिमा में और सक्षम पदाधिकारी के संतुष्टी के अनुरूप पूरे किए जाएंगे।
- 6) श्री बी.वी. चिटिमिल्ला पूर्व कार्यकारी अधिकारी को कार्य पर लगाया जाने के लिए शर्तें और निबंधन निम्यनुसार है :
- i) परिलब्धि (पूर्व में लिया गया वेतन-पेंशन) + उस पर डी.ए. का प्रतिशत होगा कन्सलटेंट किसी अन्य भत्ते का हकदार नहीं होगा ।

- ii) यह नियुक्ति पूर्णकालीन आधार पर होगी तथा नौवहन महानिदेशालय में कन्सलटेंट की अवधी के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमती नहीं होगी ।
- iii) कन्सलटेंट को सीसीएस. (आचार) नियम 1964 के अंतर्गत नियत नियमों के अनुसार में अनुशासन बनाए रखनें और पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की अपेक्षा होगी ।
- iv) कन्सलटेंट की नियुक्ति अस्थाई रूप से की जाएगी और बिना कीई कारण बताए ऐसा किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा i
- v) कन्सलटेंट किसी अधिनियम / नियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लाभ का दावा नहीं करेगा।
- vi) कन्सलटेंट को आवश्यकता पड़ने पर राजप्रत्रित अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकेगा और वे प्रतिपूरक अवकाश के ही पात्र होंगे ।
- vii) कन्सलटेंट 6 मास की अवधि में 4 दिन के लिए अवकाश के लिए पात्र होंगे ।
- viii) कन्सलटेंट को आवश्यकता पड़ने पर शाम देर तक रूकना होगा ।
- ix) कन्सलटेंट को पूर्वोक्त शर्त और निबंधनों के प्रति सहमत होना होगा और उनके नियुक्ति समय उन्हें एक नाँन डिसक्लोजर पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

यदि उपर्युकत शर्तों और निबंधनों पर कार्य करने के इस प्रस्ताव पर स्वीकार किया जाता है तो उन्हें दिनांक 02-01-2018 से नौवहन महानिदेशालय मुंबई-400042 में कार्य पर लगाया जाने के लिए विचार किया जा सकता है।

(सुरेन्द्र कुमार) सहायक नौवहन महानिदेशक

सेवा में,

श्री बी.वी. चिटिमिल्ला, सेवानिवृत्त, कार्यकारी अधिकारी, नौवहन महानिदेशालय मुंबई।

प्रतिलिपि,

नौवहन महानिदेशक के विरष्ठ निजी सचिव।

उप नौवहन महानिदेशक के विरष्ठ निजी सचिव।

उप नौवहन महानिदेशक ई-गर्वनस / वित्त एवं लेखा।

उप नौवहन महानिदेशक प्रशासन।

वित्तीय एवं लेखा अनुभाग।

वेतन एवं लोखा अधिकारी (नौवहन) मुंबई।

कार्यालय आदेश फाईल।



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बेटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR
आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर गाँव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD
कांजर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST)

Tele: 25752040-45
Fax: 25752029/35
E-mail: dgship@dgshipping.com
Web: www.dgshipping.gov.in

Dated: 29.01.2018

1- 1 FEB 2018

No. PB-30(13)/2016-MISC

टेलीफोन:25752040-45

ई-मेल: dgship@dgshipping.com

वेद: www.dgshipping.gov.in

फैक्स: 25752029/35

OFFICE ORDER NO.10/2018

मुंबई - 400 042/MUMBAI - 400 042

Consequent upon the resignation of Shri D.D. Mankikar, Consultant in Helpdesk, e-governance, the Director General of Shipping has approved the engagement of Shri B.V. Chitimilla who is having previous experience of working in Directorate General of Shipping in the capacity of Executive Officer and have experience & knowledge in work related with Shipping and have knowledge of computer and typing skill, as "Consultant" on contract basis in Help desk Cell for new e-governance project, as per the following terms & conditions w.e.f. 02.01.2018 up to 05.06.2018.:-

The following assignment shall be undertaken by the Consultant:-

- Monitoring and analysis of newly developed feed back system of the user satisfaction for the service offered by various branches of DGS. A report will be submitted by the Consultant of every quarter in the first week of subsequent month. The online concurrent feed back will be analysed and composed with baseline survey data by them and report will be submitted to DDG egovernance for onward submission to the Ministry.
- Monitoring and analysis of disposal of grievances/ feed back posted on the helpdesk, twitter, public grievances portal, e-samiksha and e-samwad.
- Consolidation, regrouping/rearrangement of various DGS orders/MS Notices/Circulars on the official website of DGS.
- 4. Preparing for publication on electronic newsletter and e-mail it to all the stakeholders of maritime sector.
- The said assignments shall be completed by the Consultant timely and to the satisfaction of Competent Authority.
- 6. The terms and conditions for engaging Shri B.V. Chitimilla, Ex-Executive Officer as a Consultant are as under:
- The formula for remuneration shall (Last Pay Drawn Pension) + DA % thereon. Consultant shall not be entitled for any other allowance.
 ...2/-

- The appointment would be on full time basis and they would not be permitted to take up any other assignment during the period of consultancy with the Directorate General of Shipping.
- iii. The Consultant shall be required to maintain discipline and absolute integrity in accordance with the rules contained under the CCS(Conduct) Rules, 1964.
- iv. The appointment of Consultant is of temporary nature and can be cancelled at any time without assigning any reason.
- The Consultant shall not claim any benefit / compensation under provisions of any Act/Rules.
- vi. Consultant may be called on gazette holidays, if required and he will be eligible for compensatory leave.
- vii. Consultant shall be eligible for 4 days leave in a period of six months.
- viii. Consultant shall be required for late sitting in evening if required.
- ix. Consultant shall have to agree with the aforesaid terms and conditions and would be required to sign a Non-Disclosure Undertaking upon their appointment.

In case he is accepting this offer of engagement on the above terms and conditions, his engagement may be considered at Directorate General of Shipping, Mumbai- 400 042 w.e.f. 02.01.2018.

[Surendra Kumar] Assistant Director General of Shipping

To

Shri B.V. Chitimilla, Ex-Executive Officer, DGS, GoI

Copy to:

- 1. Sr. PS to DG(S)
- 2. Sr. PS to Addl. DG(S)
- 3. DDG (e-governace) & F&A
- 4. DDG [Admn]
- 5. F & A Branch
- 6. Pay & Accounts Officer (Shipping) Mumbai
- 7. Office Order file.